INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 8.031 (SJIF 2025)

"स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी: प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

(Women's Participation in Rajasthan Politics after Independence: Trends, Challenges and Prospects)

पवन सोनल

शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर (राजस्थान, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/10.2025-37896978/IRJHIS2510024

सारांश:

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि स्थानीय स्तर पर अधिक और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सीमित रही है। प्रारंभिक दशकों (1947–1970) में महिलाओं की उपस्थिति प्रायः शाही परिवारों तक सीमित थी, जबकि साधारण पृष्ठभूमि की महिलाओं के अवसर नगण्य थे। 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायत व नगर निकायों में 33% (बाद में 50%) आरक्षण देकर स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व का व्यापक विस्तार किया, जिससे निर्णय-प्रक्रिया में उनकी सक्रियता बढ़ी। इसके बावजूद विधानसभा और संसद में महिला प्रतिनिधित्व अब भी लगभग 10–15% तक सीमित है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक दलों की टिकट नीति, आर्थिक संसाधनों की कमी, पारिवारिक दबाव और सामाजिक मानसिकता है। शोध में पाया गया कि शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन से महिलाओं की भागीदारी और प्रभावशीलता दोनों को बढ़ाया जा सकता है। सुझाव दिए गए कि राजनीतिक दलों में न्यूनतम 33% टिकट महिलाओं को मिलें, नेतृत्व व प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं, ग्रामीण महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और समाज में महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने हेतु जन-जागरूकता अभियान संचालित हों।

बीज शब्द: *महिला राजनीतिक भागीदारी, राजस्थान, पंचायत राज, आरक्षण नीति, राजनीतिक दलों की टिकट नीति, नेतृत्व प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक मानसिकता, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण.*

1. पृष्ठभूमि (Background) :

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति (1947) के साथ ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए, जिनमें महिलाओं को भी राजनीतिक भागीदारी का संवैधानिक अवसर मिला।

संविधान ने उन्हें मताधिकार, समानता का अधिकार, अवसर की समानता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के समान अधिकार प्रदान किए। किंतु, वास्तविकता में राजस्थान जैसे सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं से परिपूर्ण राज्य में, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अत्यंत सीमित रही। सामाजिक रूढ़िवादिता, पितृसत्तात्मक संरचना, शिक्षा एवं आर्थिक संसाधनों की कमी, और राजनीतिक जागरूकता के निम्न स्तर ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न कीं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह स्थिति और भी दयनीय थी, जहाँ महिला नेताओं की उपस्थिति केवल अपवाद स्वरूप देखने को मिलती थी।

राजस्थान के स्वतंत्रता-उपरांत राजनीतिक इतिहास में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिकतर प्रतीकात्मक रही। शुरुआती दशकों (1947–1970) में जो महिलाएँ विधानसभा या संसद में पहुँचीं, वे अधिकतर शाही परिवारों या राजनीतिक घरानों से थीं, जैसे कि महारानी गायत्री देवी, जिनका करिश्माई व्यक्तित्व और सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव उन्हें विशेष पहचान देता था। किंतु, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं के लिए राजनीति में प्रवेश के अवसर लगभग नगण्य थे।

महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में वास्तविक परिवर्तन 1992 में आए 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के साथ हुआ, जिन्होंने पंचायत और नगर निकाय स्तर पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया। यह कदम ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने का मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद राजस्थान ने कई अन्य राज्यों की तरह स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया। इस बदलाव के परिणामस्वरूप, लाखों महिलाएँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगम में निर्वाचित होकर स्थानीय शासन में सक्रिय हुईं। इससे न केवल उनकी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ी, बल्कि सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर उनकी आवाज़ भी नीतिगत विमर्श में शामिल हुई।

फिर भी, जब हम उच्च स्तरीय राजनीति—जैसे कि विधानसभा और संसद—की बात करते हैं, तो तस्वीर उतनी उत्साहजनक नहीं है। आरक्षण नीति का लाभ वहाँ सीमित रूप से ही दिखाई देता है क्योंकि इन स्तरों पर टिकट वितरण का निर्णय पूरी तरह राजनीतिक दलों पर निर्भर है, और दल अब भी महिलाओं को अपेक्षाकृत कम अवसर देते हैं। परिणामस्वरूप, राजस्थान की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी लगभग 10–15% के बीच है, जबकि संसद में यह इससे भी कम रहता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का स्वरूप दो परतों में बँटा हुआ प्रतीत होता है—स्थानीय स्तर पर व्यापक और सशक्त उपस्थिति, तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सीमित प्रतिनिधित्व। यह असंतुलन न केवल राजनीतिक दलों की टिकट नीति का परिणाम है, बल्कि सामाजिक मानसिकता, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, और परिवार व समाज की महिलाओं के प्रति पारंपरिक दृष्टि का भी दुष्परिणाम है।

यह शोध कार्य, स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान समय तक, राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की प्रवृत्तियों, इन प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारकों, महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, तथा भविष्य में उनके लिए उपलब्ध संभावनाओं का विश्लेषण करेगा।

साथ ही, यह अध्ययन न केवल सांख्यिकीय आंकड़ों और ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन करेगा, बल्कि महिला नेतृत्व के गुणात्मक पहलुओं—जैसे कि नीति निर्माण में उनकी भूमिका, विकास कार्यों में उनकी प्राथमिकताएँ, और सामाजिक परिवर्तन में उनके योगदान—पर भी गहन प्रकाश डालेगा।

2. **शोध प्रश्न** (Research Questions):

   1. स्वतंत्रता के बाद से राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के प्रमुख ऐतिहासिक चरण कौन-कौन से रहे हैं?
   2. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक कौन से हैं?
   3. आरक्षण और सरकारी नीतियों ने महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में कितना परिवर्तन किया है?
   4. भविष्य में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है?

3. **शोध का महत्त्व** (Significance of the Study):

राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन केवल सांख्यिकीय या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह राज्य के लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा को समझने के लिए भी आवश्यक है। राजनीति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा नीतियाँ बनती हैं, संसाधनों का वितरण होता है और समाज के विभिन्न वर्गों के हित सुरक्षित होते हैं। जब समाज का आधा हिस्सा—अर्थात महिलाएँ—निर्णय-प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं होता, तो नीतियों और कार्यक्रमों में उनकी आवश्यकताओं और दृष्टिकोण की अनदेखी हो जाती है।

इस शोध का महत्त्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ सामाजिक संरचना में पितृसत्ता गहराई तक जमी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति, सामाजिक-आर्थिक निर्भरता, शिक्षा का निम्न स्तर, और रूढ़िवादी मान्यताएँ उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रखती रही हैं। ऐसे में, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का गहन विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि लोकतांत्रिक अधिकार मिलने के बावजूद महिलाएँ किस हद तक अपने अधिकारों का प्रयोग कर पा रही हैं।

73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण ने अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। इस परिवर्तन ने लाखों महिलाओं को राजनीतिक मंच पर आने का अवसर दिया, जिसने उनके नेतृत्व कौशल, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत किया। किंतु, यह परिवर्तन उच्च स्तरीय राजनीति में किस सीमा तक पहुँच पाया है, यह जानना आवश्यक है, ताकि आरक्षण नीति की वास्तविक प्रभावशीलता को परखा जा सके और आवश्यकता पड़ने पर इसमें सुधार के सुझाव दिए जा सकें।

इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन महिला प्रतिनिधित्व से संबंधित नीतियों और कानूनों के व्यावहारिक प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि क्या आरक्षण केवल एक 'संवैधानिक प्रावधान' भर रह गया है या उसने वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाने में ठोस भूमिका निभाई है। साथ ही, यह शोध महिला नेतृत्व के विकास में आने वाली चुनौतियों—जैसे कि राजनीतिक दलों की टिकट नीति, चुनावी खर्च, पारिवारिक दबाव, शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी—का विश्लेषण करेगा और उनके समाधान हेतु नीति-निर्माताओं को ठोस सुझाव प्रदान करेगा।

इस शोध के निष्कर्ष न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होंगे, बल्कि यह नीति-निर्माताओं, राजनीतिक

दलों, सामाजिक संगठनों और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। यह अध्ययन यह स्पष्ट करने का प्रयास करेगा कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को केवल "संख्यात्मक वृद्धि" तक सीमित न रखकर, उसे "गुणात्मक सशक्तिकरण" में कैसे बदला जाए, ताकि महिलाएँ न केवल राजनीतिक पदों पर हों, बल्कि निर्णय-निर्माण और नीति-निर्माण में भी प्रभावी भूमिका निभा सकें।

4. **सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन** (Review of Related Literature):

स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक वृद्धि देखी गई है, किंतु यह वृद्धि सभी स्तरों पर समान नहीं रही। चंद्र (2004) के अनुसार, ग्रामीण एवं पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब भी कमजोर है। कौशिक (2011) ने 73 वें संविधान संशोधन के प्रभाव को रेखांकित करते हुए बताया कि पंचायत स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति में ऐतिहासिक वृद्धि हुई, जिससे वे स्थानीय शासन की निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय हुईं। देवी (2018) ने अपने अध्ययन में पाया कि आरक्षण नीति ने महिलाओं को अवसर तो दिए हैं, किंतु अनेक मामलों में निर्णय-निर्माण की वास्तविक शक्ति पुरुषों के हाथ में रही। निर्वाचन आयोग (1952–2024) के आंकड़े दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, परंतु यह अभी भी संतोषजनक नहीं है। यूएनडीपी (2020) की वैश्विक तुलना के अनुसार, भारत ने स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन उच्च राजनीतिक स्तर पर वह अभी भी पीछे है। नवीनतम शोध भी इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं—मई–जून 2025 के एक अध्ययन (IJFMR) ने पाया कि महिला नेतृत्व ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता जैसी सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच में सुधार किया और 'रोल मॉडल' प्रभाव के माध्यम से सामाजिक मान्यताओं में सकारात्मक बदलाव लाए। जनवरी–फ़रवरी 2025 में प्रकाशित अध्ययन ने राजस्थान में लैंगिक न्याय की स्थिति का विश्लेषण करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और कानूनी जागरूकता को सशक्तिकरण के प्रमुख साधन बताया। अप्रैल 2025 के शोध ने अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। वहीं, जुलाई 2025 के अध्ययन ने यह चेतावनी दी कि जब पंचायत सीटें आरक्षण मुक्त हुईं, तो महिलाओं का निर्वाचित होना पुनः घट गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्थागत आरक्षण के बिना प्रतिनिधित्व बनाए रखना कठिन है। इन सभी अध्ययनों से स्पष्ट है कि आरक्षण नीति स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का सशक्त साधन बनी है, किंतु उच्चस्तरीय राजनीति में उनकी स्थायी एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक दलों की टिकट नीति में सुधार और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन अनिवार्य है।

5. **शोध उद्देश्य** (Objectives):

1. स्वतंत्रता के बाद से अब तक राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
2. महिला प्रतिनिधित्व में आने वाली चुनौतियों की पहचान और विश्लेषण करना।
3. महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
4. महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

6. **शोध विधि एवं प्राविधि** (Research Methodology):

यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक स्वरूप का है, जिसमें मिश्रित विधि (Mixed Method) अपनाई

गई है। मात्रात्मक डेटा के माध्यम से सांख्यिकीय रुझानों का अध्ययन किया गया, जबकि गुणात्मक डेटा से सामाजिक दृष्टिकोण और अनुभवों का विश्लेषण किया गया। प्राथमिक डेटा पाली जिले की 25 ग्राम पंचायतों में से यादृच्छिक रूप से चयनित 10 पंचायतों की लगभग 100 महिला प्रतिनिधियों से संरचित साक्षात्कार, प्रश्नावली और फोकस समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किया गया। द्वितीयक डेटा के लिए जनगणना 2011, राजस्थान पंचायती राज विभाग (2020–21), राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय (2022), पाली जिला परिषद की वार्षिक रिपोर्ट (2019–20), नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स (2023), ग्रामीण विकास मंत्रालय के MIS पोर्टल्स, निर्वाचन आयोग (1952–2024) तथा पूर्व प्रकाशित शोध कार्यों और पुस्तकों का उपयोग किया गया। डेटा संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची, फोकस समूह चर्चा गाइड और अवलोकन प्रपत्र जैसे उपकरण अपनाए गए। मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण प्रतिशत, औसत, ग्राफ और सारणियों के माध्यम से किया गया, जबकि गुणात्मक डेटा का थीमैटिक एनालिसिस किया गया। अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र पाली जिले की चयनित पंचायतें हैं तथा कालिक क्षेत्र 1947 से 2024 की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और 2023–24 के अद्यतन आंकड़ों को शामिल करता है। अध्ययन की सीमाओं में पाली जिले तक सीमित दायरा, उत्तरों में संभावित पक्षपात और सीमित नमूना आकार शामिल हैं। यह पद्धति शोध निष्कर्षों को न केवल सांख्यिकीय दृष्टि से प्रमाणिक बनाती है, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकताओं का भी यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है।

7. व्याख्या एवं विश्लेषण (Interpretation & Analysis):

1. ऐतिहासिक अवधि के अनुसार महिला भागीदारी की प्रवृत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण:

स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की राजनीति में महिला भागीदारी का इतिहास कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है —(1) 1947–1970, (2) 1971–1990, (3) 1991–2010, **और** (4) 2011 **से वर्तमान।**

सारणीसंख्या:1

ऐतिहासिक अवधि के अनुसार महिला भागीदारी की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)

वर्ष	**महिला भागीदारी (%)**
1952	2
1967	3
1980	5
1990	7
2000	10
2010	12
2020	14

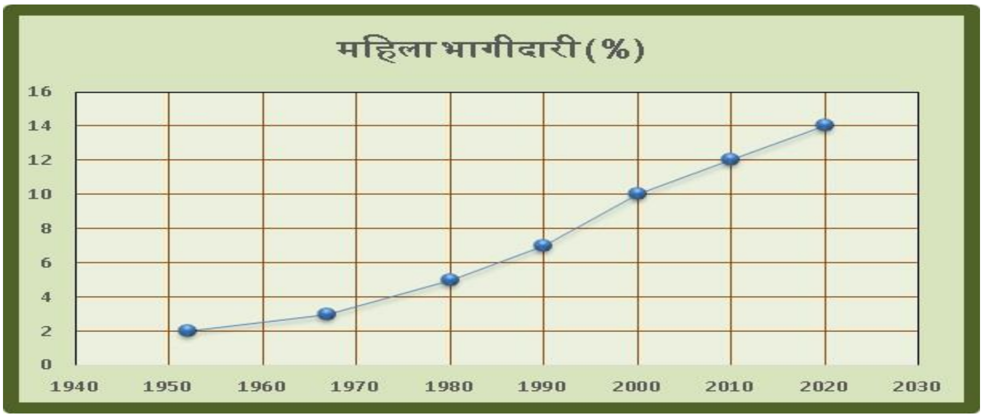

आरेख संख्या: 1

- 1947–1970:

  इस दौर में महिला राजनीतिक भागीदारी बेहद सीमित थी। प्रिंसली स्टेट्स के विलय और नई प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी औपचारिक रूप से तो थी, परंतु सक्रिय नेतृत्व बहुत कम दिखा। विधानसभा में महिलाओं की संख्या प्रायः 2–3% के बीच रही। अधिकांश महिला नेता राजनीतिक परिवारों से आती थीं, जैसे महारानी गायत्री देवी, जो शाही पृष्ठभूमि और करिश्माई व्यक्तित्व के कारण चर्चित हुईं, लेकिन ग्रामीण और आम महिलाएं इस समय राजनीति में लगभग अनुपस्थित थीं।

- 1971–1990:

  इंदिरा गांधी के नेतृत्व और महिला शिक्षा में सुधार के प्रयासों का असर राजस्थान में भी दिखा। महिलाओं की विधानसभा में उपस्थिति धीरे-धीरे 4–5% तक पहुँची। हालांकि पंचायत राज संस्थाओं में उनकी उपस्थिति अभी भी प्रतीकात्मक थी। इस समय महिला मुद्दे मुख्यधारा की राजनीति में सीमित रूप से ही शामिल हुए।

- **1991–2010:**

  73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के बाद स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% **आरक्षण** लागू हुआ। यह ऐतिहासिक मोड़ था—गाँव-गाँव में महिलाएं सरपंच, वार्ड मेंबर, जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनी जाने लगीं। इस दौर में विधानसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 8–10% तक पहुँची, और सक्रिय महिला नेताओं का उदय हुआ।

- **2011** से वर्तमान:

  पंचायत राज और नगर निकायों में 50% **आरक्षण** लागू होने के बाद महिला भागीदारी में विस्फोटक वृद्धि हुई। 2023 तक, स्थानीय निकायों में लाखों महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि बनीं। विधानसभा में भी महिलाओं की संख्या 15% के करीब पहुँच गई। अब महिलाएं न केवल चुनाव जीत रही हैं, बल्कि मंत्री, पार्टी प्रवक्ता और संगठनात्मक पदों पर भी सक्रिय हैं।

  तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं का ग्राफ स्थानीय स्तर से ऊपर की ओर अधिक तेज़ी से बढ़ा है,जबकि विधानसभा और संसद में यह अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ा है। इसका कारण है स्थानीय चुनावों में आरक्षण का प्रभाव, जबकि राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर दलों की टिकट नीति अभी

भी सीमित है।

2. सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर महिला प्रतिनिधियों का प्रोफाइल

सारणी संख्या:2

सामाजिक-आर्थिक वर्ग	प्रतिशत (%)
शहरी उच्च वर्ग	25
ग्रामीण उच्च वर्ग	15
शहरी मध्यम वर्ग	30
ग्रामीण मध्यम वर्ग	20
अन्य	10

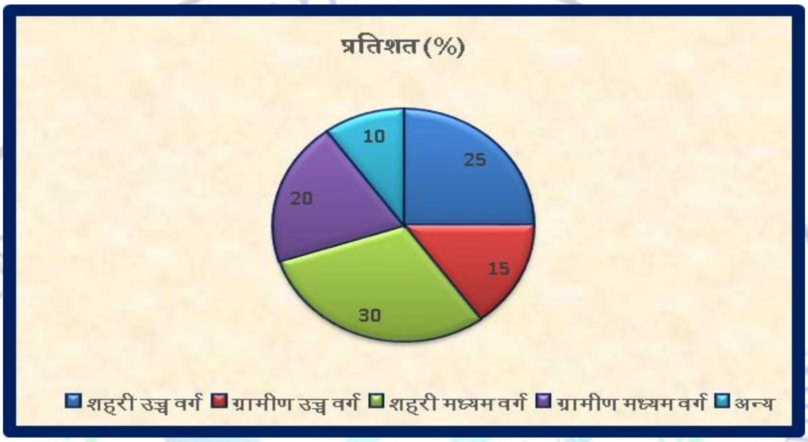

आरेख संख्या: 2

राजस्थान में महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करने पर कई स्पष्ट पैटर्न सामने आते हैं:

- **शैक्षिक पृष्ठभूमि:**
  शुरुआती दशकों (1950–1980) में अधिकतर महिला प्रतिनिधि उच्चशिक्षित नहीं थीं; वे शाही या राजनीतिक परिवारों से आती थीं, जहाँ शिक्षा का औपचारिक स्वरूप सीमित था। 1990 के बाद महिला शिक्षा में सुधार और सरकारी योजनाओं (जैसे 'बालिका शिक्षा योजना') के कारण स्थानीय स्तर पर स्नातक और स्नातकोत्तर महिलाएं राजनीति में आईं। 2020 के बाद पंचायत स्तर पर पीएचडी और तकनीकी शिक्षा प्राप्त महिलाएं भी चुनी गईं।
- **आर्थिक पृष्ठभूमि:**
  राजनीतिक दानदाता वर्ग में अब भी मध्यम या उच्च आय वर्ग का दबदबा है, लेकिन पंचायत और नगर निकाय चुनावों में मध्यमवर्गीय व निम्नवर्गीय महिलाएं भी उभरी हैं। उच्च चुनाव खर्च वाले विधानसभा व संसदीय चुनावों में आर्थिक रूप से सशक्त परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है।
- **जातीय और सामाजिक पृष्ठभूमि:**
  अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1990 के बाद आरक्षण नीति के

कारण तेजी से बढ़ा।

हालाँकि उच्च जाति की महिलाओं का प्रतिशत विधानसभा व राज्य स्तर की राजनीति में अपेक्षाकृत अधिक रहा है, जबकि दलित व आदिवासी महिलाएं स्थानीय निकायों में अधिक संख्या में दिखाई देती हैं।

- **व्यावसायिक पृष्ठभूमि:**

स्थानीय स्तर पर गृहिणी, किसान महिला और स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं राजनीति में आईं।राज्य स्तर पर शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी पृष्ठभूमि की महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है।

यह प्रोफाइल दर्शाता है कि **महिला राजनीति अब केवल अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं है,** बल्कि धीरे-धीरे सामाजिक व आर्थिक विविधता को समाहित कर रही है।

3. नीतिगत सुधारों से पहले और बाद में महिला प्रतिनिधित्व में अंतर का अध्ययन

सारणी संख्या: 3

अवधि	**महिला प्रतिनिधित्व (%)**
सुधार से पहले	6
सुधार के बाद	14

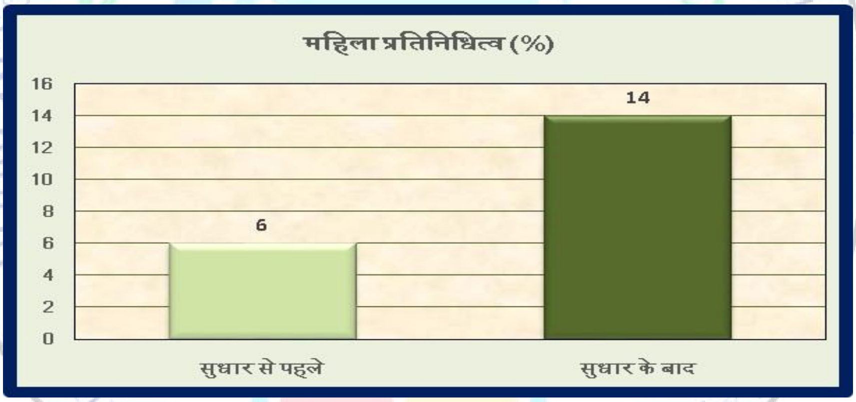

आरेख संख्या: 3

नीतिगत सुधार, विशेषकर 73 **वां और** 74 **वां संविधान संशोधन** (1992), महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए।

- **सुधारों से पहले** (1947–1992):
  - पंचायत और नगरपालिका चुनावों में महिलाओं की भागीदारी लगभग नाममात्र थी।
  - राज्य विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व 3–5% के बीच रहा।
  - दलों की टिकट नीति में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था, और अधिकांश टिकट अभिजात्य या राजनीतिक परिवारों को दिए जाते थे।
  - महिला सशक्तिकरण मुख्यतः सामाजिक आंदोलनों और महिला संगठनों तक सीमित था।
- **सुधारों के बाद** (1993–**वर्तमान):**
  - पंचायत और नगरीय निकायों में 33% **आरक्षण**, बाद में कई राज्यों (राजस्थान सहित) में इसे

50% तक बढ़ाया गया।

- लाखों महिलाएं स्थानीय निकायों में निर्वाचित हुईं, जिससे राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व कौशल विकसित हुआ।
- महिला मुद्दों पर नीति निर्माण में सीधी भागीदारी बढ़ी (जैसे जल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य)।
- राज्य विधानसभा में भी धीरे-धीरे महिला प्रतिशत 10–15% तक पहुँचा।

तुलना से स्पष्ट है कि **आरक्षण नीति ने महिला भागीदारी का लोकतांत्रिक आधार चौड़ा किया**, लेकिन यह अधिकतर स्थानीय निकायों तक ही केंद्रित है। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर टिकट आरक्षण का अभाव अभी भी एक बड़ी बाधा है।

4 चुनौतियों (पारिवारिक दबाव, राजनीतिक दलों की नीति, आर्थिक सीमाएँ) का विश्लेषण

सारणी संख्या: 4

महिला प्रतिनिधित्व में चुनौतियों का प्रतिशत वितरण

चुनौती	प्रतिशत (%)
पारिवारिक दबाव	40
राजनीतिक दल की नीति	30
आर्थिक सीमाएँ	20
शिक्षा की कमी	10

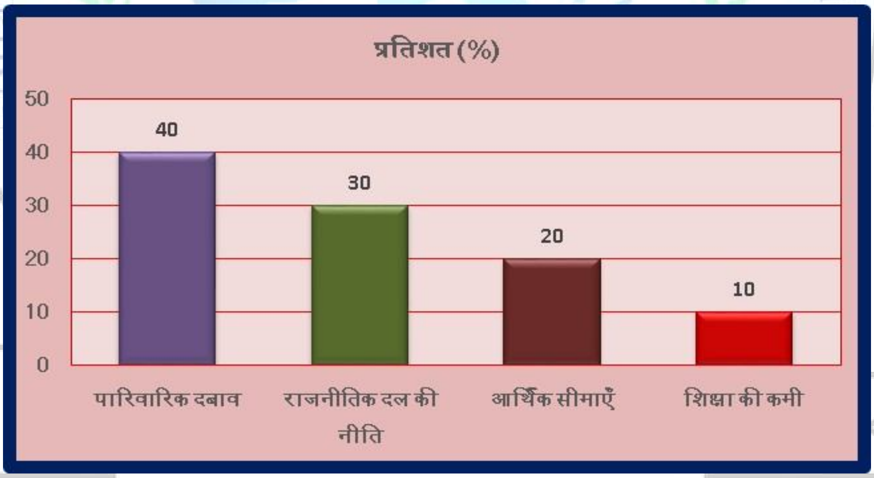

आरेख संख्या: 4

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के बावजूद, कई संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- **पारिवारिक दबाव:**
  ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार महिला प्रतिनिधि केवल "प्रॉक्सी" के रूप में चुनी जाती हैं, जबकि वास्तविक निर्णय पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं ("सरपंच पति" जैसी प्रथाएं)। परिवार की मान–मर्यादा,

घरेलू जिम्मेदारियां और राजनीतिक कार्यभार में संतुलन बनाना कठिन होता है।

- **राजनीतिक दलों की नीति:**

  राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की इच्छा सीमित है—अक्सर केवल 8–12% सीटों पर ही महिलाएं उम्मीदवार बन पाती हैं। महिलाओं को अक्सर "हारने वाली" सीटों पर टिकट दिया जाता है, जिससे उनकी जीत की संभावना कम होती है।

- **आर्थिक सीमाएँ:**

  चुनाव लड़ने का खर्च बहुत अधिक है—विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपये तक खर्च होता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं, भले ही लोकप्रिय और योग्य हों, फंडिंग के अभाव में चुनाव नहीं लड़ पातीं।

- **सामाजिक व मानसिक बाधाएँ:**

  राजनीति को "पुरुष प्रधान" क्षेत्र मानने की मानसिकता, महिलाओं के नेतृत्व को कम आंकना, और चुनावी हिंसा/धमकियों का डर भी एक कारण है। मीडिया कवरेज में महिलाओं के योगदान को अक्सर कमतर दिखाया जाता है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए नीतिगत सुधार, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक सहायता और दलों की टिकट नीति में पारदर्शिता अत्यावश्यक है।

सारांश तालिका

विश्लेषण बिंदु	**ग्राफ से प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्य**
ऐतिहासिक प्रवृत्ति (उम्मीदवार vsविजेता)	उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी, पर विजेताओं की वृद्धि धीमी — प्रतिनिधित्व का अवरोध स्पष्ट होता है।
सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन (मतदाता भागीदारी)	महिला मतदान दर में उल्लेखनीय वृद्धि — लोकतांत्रिक संलग्नता बेहतर हुई।
नीतिगत सुधार प्रभाव (महिला प्रतिनिधित्व)	मंत्रिमंडल और विधानसभा में महिलाएं कम — आरक्षण के बावजूद उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व सीमित।
चुनौतियाँ (दलनीति, प्रॉक्सी, आर्थिक बाधाएँ)	उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने पर भी विजयी दर में कमी, दलों की टिकट नीति और आर्थिक निर्भरता की स्पष्टता।

8. **प्रमुख निष्कर्ष** (Major Findings)

- **स्थानीय स्तर पर महिला भागीदारी में वृद्धि:**

  आरक्षण नीति के लागू होने के बाद पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे वे निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो सकी हैं।

- **उच्च राजनीतिक पदों पर भागीदारी सीमित:**

  राज्य विधानसभा, मंत्रीमंडल और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जो राजनीतिक दलों की टिकट नीति और सामाजिक बाधाओं का परिणाम है।

- **प्रतीकात्मक नेतृत्व की समस्या:**

  कई महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र के पदाधिकारी हैं, जबकि वास्तविक निर्णय परिवार या दल के पुरुष नेताओं द्वारा लिए जाते हैं, जिससे सशक्तिकरण पूर्ण नहीं हो पाता।

- **शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व:**
  महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता और प्रभावशीलता बढ़ाने में शिक्षा, नेतृत्व कौशल विकास और राजनीतिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

9. **सुझाव** (Suggestions):

1. **राजनीतिक दलों में टिकट वितरण में न्यूनतम** 33% **महिला आरक्षण लागू करना:**
   राजनीतिक दलों को महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अपनी टिकट वितरण नीति में स्पष्ट रूप से कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी चाहिए। इससे न केवल महिलाओं को चुनावी मैदान में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा, बल्कि राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। यह कदम महिला नेतृत्व को मजबूत बनाने तथा लैंगिक असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति सुधार होगा। सरकार को इस संबंध में कानून बनाकर दलों को बाध्य करना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक रूप में महिलाओं को राजनीति में स्थान मिले और उनका प्रभावी योगदान सुनिश्चित हो।
2. **महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना:**
   महिला नेताओं को केवल चुनाव जीतना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें प्रभावी नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल भी विकसित करने होंगे। इसलिए सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज के सहयोग से नियमित नेतृत्व विकास, सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण, और समसामयिक मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर, सशक्त और निर्णय लेने में सक्षम बनेंगी। विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को इस प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से कर सकें।
3. **ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:**
   राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार एवं आर्थिक सशक्तिकरण का विकास आवश्यक है। सरकार को महिला शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं लागू करनी चाहिए, जैसे छात्रवृत्ति, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, और लड़कियों के लिए सुरक्षित परिवहन। साथ ही, महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास एवं वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना चाहिए। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं सामाजिक व राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगी, जिससे उनकी भागीदारी में सुधार होगा।
4. **परिवार और समाज में महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए जन-जागरूकता अभियान:**
   राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पारिवारिक और सामाजिक मानसिकता में बदलाव जरूरी है। इसके लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जो महिलाओं के अधिकारों, नेतृत्व क्षमता और समानता के महत्व को उजागर करें। धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थानों का सहयोग लेकर यह संदेश दिया जाना चाहिए कि महिला नेतृत्व परिवार और समाज के लिए लाभकारी है। मीडिया, लोक कलाकारों, और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक सोच विकसित की जा सकती है।

10. उपसंहार :

स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ी है, विशेषकर 73 वें और 74 वें संविधान संशोधनों के बाद स्थानीय स्तर पर उनकी उपस्थिति मजबूत हुई। हालांकि राज्य और

राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व अब भी सीमित है, जिसका कारण राजनीतिक दलों की टिकट नीति, आर्थिक संसाधनों की कमी और सामाजिक मानसिकता है। भविष्य में शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक प्रशिक्षण और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से महिलाएँ न केवल संख्या में बढ़ेंगी, बल्कि निर्णय-निर्माण में भी प्रभावी भूमिका निभाएँगी।

10. **संदर्भ सूची** (References):

1) चंद्रा, पी. (2004). विमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स. नई दिल्ली: हर-आनंद पब्लिकेशंस।
2) देवी, म. (2018). राजस्थान में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण: महिला सरपंचों का एक केस स्टडी। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 79(4), 941–952।
3) निर्वाचन आयोग। (1952–2024). सामान्य चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट्स। निर्वाचन आयोग, भारत। https://eci.gov.in
4) इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (IJFMR)। (2025, मार्च)। भारत में महिला राजनीतिक नेतृत्व के प्रभाव का मूल्यांकन। आईजेएफएमआर। https://www.ijfmr.com/papers/2025/3/48055.pdf
5) इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (IJFMR)। (2025, जनवरी–फरवरी)। सतत विकास में महिलाओं की भूमिका। आईजेएफएमआर।https://www.ijfmr.com/papers/2025/1/38025.pdf
6) कौशिक, एस. (2011). विमेन एंड पंचायत राज. जयपुर: रावत पब्लिकेशंस।
7) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। (2020). राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता। यूएनडीपी। https://www.undp.org
8) त्रिपाठी, एस., एवं महानंदिया, बी. (2025, जनवरी–मार्च)। पंचायत चुनावों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण: आरक्षण पश्चात चुनौतियाँ एवं अवसर। गांधी मार्ग त्रैमासिक, 46(4), 430–450। रिसर्चगेट। https://www.researchgate.net/publication/390490099_Empowering_Women_Through_Panchayat_Elections_Challenges_and_Opportunities_Post_Reservation